


16.04.2025:- पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वादपत्र प्रार्थी द्वारा विद्धा कर लिया गया है। इसलिए मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र में जारी स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2024 को वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तरी हो।


Mishra
सहायक कलक्टर
जन प्रशिक्षण अधिकारी
मानसगढ़